न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 152/2018

1. साकिब पुत्र इलियास, जाति कायमखानी, निवासी बिसाउ, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू (राज0) —— आवेदक

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर मलसीसर।
2. बिसाउ पिंजरापोल सोसायटी जरिये व्यवस्थापक श्रीकिशन पारीक, जाति पारीक, निवासी बिसाउ, जिला झुंझुनूं (राज0)। —— अनावेदकगण

——

आवेदन पत्र अ0धारा 151, 152 सी0पी0सी0 दुरूस्त करने आदेश क्रमांक एफ 12/12(55)राज/72 1617 दिनांक 04 मई 1972 मे खसरा नम्बर 345 की जगह 349 मौजा बिसाउ करने बाबत।

——

उपस्थितः–

1 श्री जाफर अली, एडवोकेट – आवेदक की ओर से
2 श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – अनावेदक सं0 1 की ओर से
3 श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट – अनावेदक सं0 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 18.09.20

आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है आवेदक करीब 25 साल से मकान बनाकर 345 नया नम्बर 827/2120 मौजा बिसाउ मे आबा जिसमे पानी व बिजली का कनेक्शन करवा रखा है। आवेदक अपने पिता के साथ खसरा नम्बर मे रहवास कर रहा है जिसमे आवेदक ने करीब 21 साल से मकान बना कर आबाद है। आवेदक भौतिक सत्यापन खसरा नम्बर 345 ही है। खसरा नम्बर 345 राजकीय भूमि है। सम्वत् 20 राजकीय भूमि रिकार्ड मे चली आ रही है तथा आवेदक व अन्य लोग सरकारी भूमि होने के मकान बनाकर रहने लग गये है। बिसाउ ठाकर साहब ने एक पट्टा बिसाउ गौशाला की लिए एवं अन्य गांव की गायों के चरने के लिए पट्टा दिया था। बिसाउ गौशाला ने अनुसार इन्काल भरवाने के लिए कार्यवाही की लेकिन कई जिला कलेक्टर ने यह इन्तकाल नही भरा कि बिसाउ पिंजरापोल के लिए 1100 बीघा भूमि दिया जाना न्यायोचित जिसका हवाला बिसाउ गौशाला की किताब मे अंकन है। अन्य गांवों की गाय वहां चरे 1972 मे तत्कालीन जिला कलेक्टर झुंझुनूं ने पिंजरापोल सोसायटी ने इन्तकाल भरवाने की की जिसमे तत्कालीन जिला कलेक्टर ने नामान्तरकरण भरने का आदेश क्रमांक एफ 12)राज/72/1617 दिनांक 04.05.1972 को आदेश दिया था जिसमे जिला कलेक्टर ने अनुसार इन्तकाल भरने का आदेश दिया था जिसमे खसरा नम्बर 349 की जगह 345

जबकि बिसाउ पिंजरापोल सोसायटी व तहसीलदार झुंझुनूं व हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार 349 की जमीन पिंजरापोल सोसायटी की है लेकिन जिला कलेक्टर ने टाईप मिस्टेक से 349 की जगह 345 लिख दिया है जो राजकीय भूमि है जिसमे आवेदक व अन्य ग्रामवासियों ने मकान बनाकर आबाद है। विपक्षी नम्बर 2 ने खसरा नम्बर 349 की जमीन का नामान्तरकरण भरने के लिए जिला कलेक्टर झुंझुनूं को आवेदन दिया था जिस पर हल्का पटवारी ने खसरा नम्बर 349 की जमीन का पिंजरापोल सोसायटी का कब्जा माना था तथा तहसीलदार झुंझुनूं को पट्टा के अनुरूप अनुशंषा की थी। लेकिन उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं ने 349 की जगह 345 की अनुशंषा की जो एक टाईपिंग मिस्टेक है। उसके बाद जिला कलेक्टर झुंझुनूं ने तहसीलदार झुंझुनूं को आदेश जारी कर खसरा नम्बर 345 का नामान्तकरण भरने का आदेश दिया था। जिसमे टाईपिंग मिस्टेक खसरा नम्बर 349 की जगह 345 लिख दिया था जो एक मानवीय भूल है। जिसको दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक है। बिसाउ पिंजरापोल के खसरा नम्बर 349 दर्ज है जबकि खसरा नम्बर 345 राजकीय भूमि बताई गई जिसको दुरूस्त किया करना अतिआवश्यक है। विपक्षी नम्बर 2 के रिकार्ड मे जमीन खसरा नम्बर 345 की जगह खसरा नम्बर 349 हाल खसरा नम्बर 815, 808, 809, 810 मौजा बिसाउ दर्ज करवाया जावे तथा खसरा नम्बर 345 हाल खसरा नम्बर 827, 827/2120 मौजा बिसाउ को विपक्षी के स्वामित्व की ना मानकर राजकीय भूमि दर्ज करवाई जावे। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षी न0 1 के नाम खसरा न्मबर 345 हाल खसरा नम्बर 827/2120 की जगह खसरा नम्बर 349 हाल खसरा नम्बर 815, 808, 809, 811 मौजा बिसाउ करवाया जावे ताकि राजकीय जमीन विपक्षी नम्बर 1 व 2 के कब्जे मे ना जा सके।

बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का खसरा नम्बर 349 पर ही कब्जा है। प्रार्थी द्वारा आवेदन भी भूमि खसरा नम्बर 349 के नामान्तरकरण के लिए ही किया था परन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 349 के स्थान पर खसरा नम्बर 345 की अनुशंषा कर दी जिसके आधार पर तत्कालीन जिला कलेक्टर झुंझुनूं के आदेश कमांक एफ 12/12(55)राज/72/1617 दिनांक 04.05.1972 जारी किया । उक्त आदेश मे वर्णित खसरा नम्बर 345 का अंकन एक टाईप मिस्टेक है जिसको कभी भी खसरा नम्बर 349 के रूप मे दुरूस्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आदेश मे खसरा नम्बर 345 के स्थान पर 349 संशोधित करने का निवेदन किया।

राजकीय अभिभाषक ने अप्रार्थी सं0 1 की ओर से बहस करते हुए निवेदन किया कि वर्णित प्रकरण मे जो नामान्तरकण भरा गया था वो मुताबिक आदेश नियमानुसार सही भरा गया था अतः प्रार्थना पत्र मे कोई सार नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकील प्रार्थी सं0 2 ने बहस प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे चलने योग्य नही पहले भी इनका प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है। तत्कालीन जिला कलेक्टर झुंझुनूं के आदेश कम एफ 12/12(55)राज/72/1617 दिनांक 04.05.1972 की पालना मे भरा गया नामान्तरक नियमानुसार सही है। अतः प्रार्थना पत्र मे कोई सार नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कि जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया साथ ही कार्यालय के आदेश कमांक एफ12/12(55)राज/72/1617 दिनांक 04.05.1972 की पत्रावली का भी अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि उक्त आदेश दिनांक 04.05.1972 में दर्ज खसरा नम्बर 345 टाईपिंग की भूल से लिखा गया है जबकि खसरा नम्बर 345 की बजाय 349 लिखा जाना चाहिए था। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि 1. ठिकाना बिसाउ द्वारा गायों की चराई हेतु बिसाउ पिंजरापोल को दिये गये पट्टे दिनांक 26.03.1953 में खसरा नम्बरान का उल्लेख न कर केवल रकबा 1088 बीघा सवा 14 बिस्वा लिखा गया है। 2. तहसीलदार (भू.अ.) झुंझुनू ने अपने पत्रांक 2256 दिनांक 19.11.1970 द्वारा उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें खसरा नम्बर 347, 349, 506, 520, 524, 526, 858, 711 का अंकन है तथा उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा जो प्रतिवेदन अपने पत्रांक 378/राजस्व/72 दिनांक 20.04.1972 द्वारा जिला कलक्टर को प्रेषित किया गया है उसमें अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 345, 347, 506, 520, 524, 526, 670, 676 व 678 रकबा 1088 बीघा सवा 14 बिस्वा का अंकन है। इससे यह सिद्ध है कि ठिकाना बिसाउ द्वारा जारी पट्टे, तहसीलदार की रिपोर्ट तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर को प्रेषित प्रेतिवेदन में तारतम्य नहीं है। 3. प्रार्थी द्वारा सम्वत् 2012 से अपना कब्जा खसरा नम्बर 345 पर बताया है और उसने खसरा नम्बर 349 की जगह लिखे गये खसरा नम्बर 345 को दुरूस्त करने के लिये आवेदन किया है। प्रार्थी का खसरा नम्बर 345 पर कब्जा तथा लगातार चला आ रहा है तो उसका समाधान संबंधित सक्षम अदालत में वाद दायर करके अपने हक के बारे में निर्णय करवा सकता है। लेकिन जिला कलेक्टर के आदेश में संशोधन का प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपना हक का निर्णय कानूनन नहीं करा सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। रिकार्ड निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू